


पन्ना 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (SHIVPURI), मध्यप्रदेश

दरम्यान - फैसल ई-मेल

कक्षांक /06025398/स्कूल आई टी - 20206 पति,

दिनांक - 21/12/2018

प्रत्यक्ष (GEETA PUBLIC SCHOOL)

विषय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अंतर्गत स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/माननीय,

आपके आवेदन पर दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पंचातवती पर (सचिव) निदेशानुसार के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -GEETA PUBLIC SCHOOL, FATEHPUR SHIVPURI को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक मान्यता के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्कूलकी निम्नलिखित बातों की पूर्ति के अधीन रहेंगे -

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यतासंबंधितता की कोई भी बात विस्तारित नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पठित की सीमा के अतिरिक्त समूह तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में स्कूल यदि वास्तविक रूप में स्कूल है तो इनकी प्रवेशित बच्चों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रदान देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवेदन व्यवस्था में पूरा करने हेतु उस प्रकार वार्षिक आवेदन सहायता या अनुदान प्राप्त होगा किंतु यह न्यूनतम पाठ्यक्रम विस्तार के अधीन होगा बशर्ते कि जो स्कूल पूर्व स्कूल (पि स्कूल) शिक्षण ही जारी है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में (ग) के उपबंध वि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवस्था की पूर्तिपूर्ति की जाएगी तथा सभी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में लिए स्कूल को वृद्धक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- मॉनोटेराइज्ड कोई भी रीजिस्ट्रेशन फीस का समर्थन नहीं करेगा तथा छात्रक या उसके छात्रक या अधिप्राप्तक के साथ किसी पाठ्यक्रम विकल्प को नहीं प्रदान करेगा।
- स्कूल किसी भी छात्रक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
  - (क) अनु के स्कूल के अंतर्गत में
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित मान्यतापत्र के पंचातवती ऐसा प्रवेश प्राप्त होगा है।
  - (ग) स्कूल अपने या मूलक, उत्पन्नस्थान या इनमें से किसी भी कारण पर।
- स्कूल सुनिश्चित होगा कि:
  - किसी स्कूल में पाठ्यक्रम प्रवेश पूर्ण होने तक किसी भी छात्रक को प्रवेश देना या प्रवेश देना से रोकना या निष्काशित नहीं किया जाएगा।
  - किसी छात्रक को वार्षिक या मासिक रूप में प्रवेशित नहीं किया जाएगा।
  - पाठ्यक्रम प्रवेश पूर्ण होने तक छात्रक को कोई भी प्रवेश उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - नियम 19 के अधीन पाठ्यक्रम प्रवेश पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्रक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क प्रवेशित करने वाले छात्रको को सम्मिलित किया जाएगा।
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम वास्तविक अनुपात शिक्षकों की शर्तों की जाएगी, बशर्ते कि:
    - बोधक्रम में बाधक जो शिक्षक उस अधिनियम के प्रावधान होने पर न्यूनतम अंक नहीं रखते हैं। उन्हें अधिनियम के प्रावधान होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने की होगी।
    - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट बर्तव्यों का पालन करना होगा।
    - फलवट रीजि. की संशोधनों में शिक्षक नियम अंग नहीं संशोधनी।
- स्कूल समुचित पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुपालन करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में प्रवेशित, सुविधा के अनुसार 10 स्कूल में बच्चों को उपलब्ध किया जाएगा।

Signature: Self/Ananta Principal Geeta Public School Fatehpur Shivpuri (M.P.)

- स्कूल स्कूल स्वीकारण की जाह 19 अगस्त 2022 क आर 10 11 अगस्त काल को जारी की गयी।
- यहाँ पर सुविधाओं के विवरण दिए गये हैं।

क्र.	सुविधाएँ	मूल्य में टर्जे	कारणिक विधि
8	स्कूल के भवन की विधि	घराने का मूल्य	दिनांक 10/08/22
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (बर्ग मीटर में)	60000	90000
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (बर्ग मीटर में)	36177	40000
11	सैनिक भवन का क्षेत्रफल (बर्ग मीटर में)	53019	53819

**अधोसंरचना का विवरण**

क्र.	कक्षा	कक्षाओं में टर्जे		कारणिक विधि	
		Rooms as per RTE	संख्या	संख्या	क्षेत्रफल (बर्ग मीटर में)
1	कक्षा अंतर्गत एक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		25	25	500
2	कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा-सह-परिचालन कक्षा		4	4	500
3	अतिरिक्त कक्षा-सह-परिचालन		1	1	1500

**अन्य सुविधाएँ**

क्र.	सुविधाएँ	मूल्य में टर्जे	कारणिक विधि
1	कक्षा कक्षा सुविधाओं तक पहुंच बनाए रखित है।	है	है
2	पठन पाठन सुविधाएँ उपलब्ध हैं।	है	है
3	सैनिक एक क्षेत्र उपकरण (उपलब्ध सुविधा उपलब्ध है)।	है	है
4	सुरक्षा की सुविधा	6400	6400
5	परिचालन सुविधाएं	10	10
6	वेटरन सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	वेटरन सुविधा की संख्या	4	4
8	सैनिक का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/दक्षिण)	Indian	Indian
9	सैनिकों के लिए सुविधा सैनिकों की संख्या	22	22
10	सैनिकों के लिए सुविधा सैनिकों की संख्या	15	15
11	सैनिकों के लिए सुविधा सैनिकों की संख्या	1	1
12	कक्षा अंतर्गत सुविधा उपलब्ध है 0 हाथी	है	है

- संशोधित किए गए चार्टर स्कूलों के विवरण हैं और उचित सेवा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
- स्कूलों के विवरणों की एक प्रति परिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- स्कूलों के स्कूल का संचालन कोड नंबर 06025398 एन आईएसओ 9001:2008/2015 है। हम काशीपुर के स्कूल संचालन से एक कोड जारी कर दिया जाएगा।
- देशी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा विभाग/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा के बाद उपलब्ध की जाएगी, और स्कूल राज्य सरकार/राज्यीय प्राधिकारी के सभी अंशों को पालन करेगा, जैसे कि स्कूल के संचालन की प्रक्रिया को दूर करने के लिए अथवा संचालन की सलाह की आवश्यकता पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएंगे।
- संशोधित/संशोधित यदि कोई हो, जो पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य सभी आवश्यक उपकरण/सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- अतिरिक्त एक विवरण के उपलब्ध और संचालन की सलाह का अनुमान प्राप्त करने तक सिद्ध है, जो पर संचालन सफल हो सके।

Self Attested  
Principal  
Geeta Public School  
Fatehpur Shivpur (M.P.)

Signature  
Date  
Stamp